

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-कोयम्बटूर/सीपी-1/2023-28
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफ्दरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 22 अगस्त, 2024

सार्वजनिक सूचना संख्या 13/2024-25

विषय: कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर (सीजेबी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 22.07.2024 के परामर्श पत्र संख्या 03/2024-25 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां

कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर (सीजेबी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 22.07.2024 के परामर्श पत्र संख्या 03/2024-25 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।

2. इसके जवाब में प्राधिकरण को निम्नलिखित हितधारकों से टिप्पणियां/प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं:-

क्र. सं.	हितधारक
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
2	फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए)
3	इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए)

ऊपर बताए अनुसार प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां सभी संबंधितों की जानकारी के लिए ऐरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

